ऋषिराज सिंह(अधिवक्ता) मो0नं0–7773877841
जिला एवं सत्र् न्यायालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)
कार्यालय – खैरबार बांकी डेम रोड, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक..... दिनांक 18.07.2026

प्रति,

1– संजय शुक्ला (प्रकाशक एंव मुद्रक)
नईदुनिया समाचार पत्र
2– सदगूरूशरण (संपादक)
नईदुनिया समाचार पत्र
प्रेस सेक्टर–1, प्लांट नं0–12,13 एंव 14 सिरट्टिी बिलसपुप
दुसरी मंजील महिमा ट्रेड सेंटर श्रीकांत वर्मा मार्ग बिलसापुर
(छ0ग0)
3– बैजनाथ केशरी आ0 रामलखन केशरी आयु 40 वर्ष,
निवसी रेस्ट हाउस रोड रामानुजगंज,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

वैधानीक नोटिस

महोदय़,

मैं ऋषीराज सिंह उपरोक्त अधिवक्ता निवासी बाकी डेम रोड, खैरबार, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 श्री गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव आ0 कुलदीप सहाय निवासी रामानुजगंज, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज छ0ग0 जिसे इस नोटिस में मेरा वादार्थी कहकर संबोंधित किया गया है, के निर्देशानुसार यह वैधानीक नोटिस निम्न वैधानीक कारणों से आप नोटिसग्रहिता को प्रेषित कर रहा हूं :–

1– यह कि आप नोटिसग्रहीता क्र0 1 व 2 नई दुनिया समाचार पत्र के प्रकाशन मुद्रक एवं संपादक है तथा आप लोगो द्वारा नईदुनिया समाचार पत्र का प्रकाशन पुरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है जिसका पंजीयन क्रमांक सी0एच0एच0आई0एन0 / 2007 / 19457 है, तथा नोटिसग्रहिता क्र0 3 उक्त समाचार पत्र रामानुजगंज में ब्युरो चीफ है।

2– यह कि श्री गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव आ0 कुलदीप सहाय निवासी नगर रामानुजगंज तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर–रामांनुजगंज को अनुविभागीय

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी रामानुजगंज द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्र0 20/अ–3/1979–80 में पारित आदेश दिनांक 11.03.1980 के अधीन नगर रामानुजगंज स्थित शासकीय भूमि खसरा न0 67/35, 67/83, 67/56, 78/4 रकबा क्र0 2.00, 0.75, 0.60, 10.00 एकड़ कुल रकबा 12.82 एकड़ (अत्र पश्चात् वादभूमि) का व्यवथापन 75.40/–रूपये नजराना पर किया गया था। जिसके पश्चात् उन्हे विधिवत् पट्टा जारी किया गया।

3– यह कि गोपाल श्रीवास्तव कों जारी पट्टे की जांच कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्रारंभ करते हुये राजस्व प्रकरण क्र0 20/अ–3/1979–80 में पारित आदेश दिनांक 22.05.1990 द्वारा व्यवस्थापन में अनियमितता एंव त्रुटि पाये जाने के कारण व्यवस्थापन आदेश निरस्त कर दिया गया है।

4– यह कि अपर कलेक्टर सरगुजा के आदेश दिनांक 22.05.1990 से क्षुब्ध होकर गोपाल श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त न्यायालय में पुनरीक्षण प्रकरण दायर किया गया। आयुक्त महोदय ने अपने राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्र0 11/अ–3/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 21.01.1991 में अपर कलेक्टर सरगुजा के आदेश को स्थिर रखा, जिसके विरूद्ध गोपाल श्रीवास्तव द्वारा मध्यप्रदेश शासन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कि गई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने निगरानी क्र0 1–30/निगरानी/91 में दिनांक 20.05.1992 को आदेश पारित करते हुए निगरानी खारिज कर दिया आयुक्त एंव अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया।

5– यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरूद्ध गोपाल श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पीटीशन क्र0 2780/1992 प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट पीटीशन में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2006 द्वारा इस निर्देश के साथ आदेश निरस्त किया गया कि "यदि मिसरिप्रजेन्टेशन ऑफ फैक्टस से पट्टा जारी किया गया है तो राजस्व न्यायालय द्वारा विधिवत जांच कर पट्टा निरस्त किया जा सकता है।"

6– यह कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित उपरोक्त निर्देश का अनुपालन कर तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि का नामांतरण गोपाल श्रीवास्तव के पक्ष में किया गया, ततपश्चात गोपाल श्रीवास्तव द्वार भूमि विक्रय की अनुमती बावत् कलेक्टर सरगुजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर सरगुजा द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्र0 01/अ–21/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2011 द्वारा वादभूमि के विक्रय की अनुमती बाबत् आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध गोपाल श्रीवास्तव द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने राजस्व अपील क्र0 37/अ–21/2011–12 में दिनांक 15.06.2012 को आदेश पारित करते हुये भूमि विक्रय करने कि अनुमती प्रदान की गई। जिसके पुष्टि राजस्व मंडल छ0ग0 बिलासपुर द्वारा पुनरीक्षण क्र0 आर0एन0/आर0/अ–21/27/354/2012

Scanned with OKEN Scanner

(बैजनाथ केशरी प्रति, गोपाल श्रीवास्तव) में पारित आदेश दिनांक 24.03.2023 द्वारा की जा चुकी है।

7— यह कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 15.06.2012 के पालन में मुल भूमि स्वामी गोपाल श्रीवास्तव ने दिनांक 22.06.2012 को विक्रय पत्र द्वारा मेरे वादार्थी सुनील अग्रवाल आ0 बजरंग लाल अग्रवाल को खसरा न0—78/4 में से रकबा क्रमशः 2 एकड़ विक्रय किया गया तथा उसका भौतीक आधिपत्य भी विक्रय पत्र निष्पादन तिथि को मेरे वादार्थी को प्रदान कर दिया गया है। जिसकी नवीन खसरा क्र0 78/65 रकबा 0.809 हे0 है।

8— यह कि उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मेरे वादार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को विधिवत् अनुमती प्राप्त कर पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2012 द्वारा क्रय करने के पश्चात् उसके विधिवत आधिपत्य में चला आ रहा है, जिसके संबंध में रामानुजगंज मे आम लोगों द्वारा कोई आपत्ति नही की गई।

9— यह कि आप नोटिसग्रहितागण द्वारा अपने नईदुनिया समाचार पत्र के दिनांक 23.06.2026 के पेज क्र0 14 में "पर्यटन स्थल के पास सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल" शीर्षक के माध्यम से यह समाचार प्रकाशीत किया गया है कि मेरे वादार्थी द्वारा न्यायालय के स्थगन के पश्चात् भी उपरोक्त भूमि में निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि उपरोक्त कंडिकाओं में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मेरे वादार्थी द्वारा विधिवत अपने स्वामित्व की भूमि को क्रय कर उस पर विगत 14 वर्षो से काबिज कास्त है।

10— यह कि आप नोटिसग्रहितागण द्वारा सही तथ्यों एंव न्यायालीन प्रकरण को छुपाते हुए मेरे वादार्थी के विरूद्ध एक झुठा एंव मानहानी कारक समाचार प्रकाशित किया गया है, जिससे मेरे वादार्थी की छवी सरगुजा जिले के अतिरिक्त आस—पास के क्षेत्र मे धुमिल हुई है तथा आम जनता व व्यपारियों द्वारा उसे संदेह के दृष्टिकाण से देखने के कारण उसे घोर मानसिक एंव सामाजिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए आप नोटिसग्रहितागण जिम्मेदार है।

11— यह कि आप नोटिसग्रहिता गण को यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि उपरोक्त भूमि के संबंध में नोटिसग्रहिता क्र0 3 द्वारा माननीय सचिव, महोदय छ0ग0 शासन के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका क्र0 एफ0—10—01/सात—1/पुन0 अभ्या0/2021—22 प्रस्तुत किया गया था जिसमें मेरे वादार्थी को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया गया, जिसमें मेरे वादार्थी को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया गया, जिसके सबंध में मेरे वादार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्र0 5137/2024 प्रस्तुत किया था जिसमें पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 द्वारा मेरे वादार्थी को पक्षकार बनाकर सुनवाई करने का निर्देश दिश्या गया है। जिससे स्पष्ट है कि

Scanned with OKEN Scanner

आप नोटिसग्रहितागण द्वारा उपरोक्त सम्पुर्ण तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात् भी उसके विरूद्ध झुठा एंव मानहानी कारक समाचार को प्रकाशन किया गया है।

12— यह कि आप नोटिसग्रहितागण को यह चाहिए था कि मेरे वादार्थी के विरूद्ध उपरोक्त समाचार प्रकाशीत करने से पुर्व उसकी जांच या मेरे वादार्थी से सही तथ्यों की जानकारी लेकर समाचार एंव सही तथ्यों को अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करते, पुरतु आप सबों के द्वारा ऐसा न कर दुर्भावनापुर्ण एंव मेरे वादार्थी का मानहानी करने के उद्देश्य से झुठा एंव भ्रामक समाचार प्रकाशित किया गया है जो पुर्णतः मानहानी होने के कारण बी0एन0एस0 की धारा—356 के तहत् एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए आप सब के विरूद्ध उपरोक्त अपराधिक पक्ररण के साथ साथ क्षतिपुर्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया जायेगा जिसके लिए आप सब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सुचित किया जा रहा है कि इस नोटिस के प्राप्ति के एक माह की अवधी में मेरे वादार्थी के विरूद्ध दिनांक 23.06.2026 के पेज न0 14 में प्रकाशित उपरोक्त झुठे समाचार के सबंध में खण्डन प्रकाशीत कर सुचित करें। अन्यथा नोटिस अवधी पश्चात् मेरे वादार्थी द्वारा आप सभी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें वाद व्यय के साथ—साथ इस नोटिस के खर्च 5000/—रूपये के भी देनदार होगें।

भवदीय

दिनांक 10.07.2026
स्थान— अम्बिकापुर

ऋषीराज सिंह
(अधिवक्ता)

टीपः— 1 :— उपरोक्तानुसार सूचना ग्रहण करें।
2 :— इस वैधानिक नोटिस का उत्तर की एक प्रति, मेरे कार्यालय में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखी हुई है।

Scanned with OKEN Scanner